न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 681 सन 2022

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र उमाराम जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र दुर्गादत जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र दुर्गादत जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
3. सुभाष पुत्र दुर्गादत जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
4. निहालसिह पुत्र नरसिह जाति जटसिख निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर
5. जगदेवसिह पुत्र नरसिह जाति जटसिख निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर
6. सुखदेवसिह पुत्र नरसिह जाति जटसिख निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर
7. राजेन्द्र सिह पुत्र जगदेवसिह जाति जटसिख निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. मनीराम पुत्र उमाराम जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
9. शिवभगवान पुत्र उमाराम जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
10. किशनलाल पुत्र उमाराम जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
11. बजरंगलाल पुत्र उमाराम जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
12. दुर्गादत पुत्र उमाराम जाति सैनी निवारी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 7 की कुल 4.6800हैक्ट तथा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 6 की कुल 5.0600हैक्ट व खाता संख्या 17 की कुल 5.0340हैक्ट एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19 की कुल 2.2770हैक्ट एव रोही मोजा चक 20 एनटीआर की कुल 2.0240हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है ।

उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है जिसके कारण वादी एव प्रतिवादीगण को राजकीय योजनाओं को लाभ उठाने के लिये भारी परेशानी का सामना करना पडता है एवं सयुक्त खाते में भूमि होने के कारण काश्त करने में भी भारी परेशानी होती है वादी एव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है इसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि सयुक्त खाते में होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 2 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वाद भूमि का विभाजन वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 7 की कुल 4.6800हैक्‍ तथा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 6 की कुल 5.0600हैक्‍ व खाता संख्या 17 की कुल 5.0340हैक्‍ एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19 की कुल 2.2770हैक्‍ एव रोही मोजा चक 20 एनटीआर की कुल 2.0240हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है ।

उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है जिसके कारण वादी एव प्रतिवादीगण को राजकीय योजनाओं को लाभ उठाने के लिये भारी परेशानी का सामना करना पडता है एवं सयुक्त खाते में भूमि होने के कारण काश्त करने में भी भारी परेशानी होती है वादी एव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है इसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि सयुक्त खाते में होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 2 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 7 की कुल 4.6800हैक्‍ तथा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 6 की कुल 5.0600हैक्‍ व खाता संख्या 17 की कुल 5.0340हैक्‍ एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19 की कुल 2.2770हैक्‍ एव रोही मोजा चक 20 एनटीआर की कुल 2.0240हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है ।

...कारी (राजस्व)
...हर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने वाद भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 6 के प0न0 341/422(54) के किला न0 13 की पश्चिमी पासा की 0.190हैक व किला न0 14/0.2530 ,15/0.2530 ,एव रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 17 के प0न0 340/424(73) के किला न0 16/0.2530 ,25/0.2530हैक व प0न0 341/424(72) के किला न0 20/0.2530 ,21/.2530 ,प0न0 340/425(82) के किला न0 4/1 की 0.1770 , 5/0. 202हैक प0न0 341/425(83) के किला न0 1/1 की 0.101हैक कुल 2.188हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 7 के प0न0 340/415(6) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 कुल 1.518हैक व किला न0 21/2 की 0.1260हैक कुल 1.644हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 7 के प0न0 340/415(6) के किला न0 6 ,15 ,16 की 0.759हैक प0न0 341/415(7) के किला न0 10 ,11 ,20/0.7590हैक कुल 1.518हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 8 मनीराम के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 7 के प0न0 341/415(7) के किला न0 7 ,14 ,17 ,24/1.0240हैक एव रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 341/416(8) के किला न0 4/0.2530हैक , 7/0. 2530 , 14–15/0.5060 ,16/2 की 0.169हैक पूर्व पास कुल 2.193हैक एव रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 5 के प0न0 342/416 (12) के किला न0 11/0.168 पश्चिम पासा एव 20/0.2530हैक , 19/0.2530हैक कुल 0.674हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 9 शिवभगवान के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 6 के प0न0 340/422(55) के किला न0 3/0.2530 ,6 ता 8/0.7590, 13 ता 15/0.7590 प0न0 341/422(54) के किला न0 1/1 की 0.012 , गै0मु0 खाला 1/2 पश्चिमी पासा की 0.102हैक किला न0 10 की पश्चिमी पासा की 0.114हैक भूमि 11 की पश्चिमी पासा की 0.1140हैक कुल 2.113हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 10 किशनलाल के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 341/416(8) के किला न0 23/0.2530 ,एव खाता संख्या 17 के प0न0 341/416(8) के किला न0 24 ,25/0.5060हैक एव रोही मोजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 6 के प0न0 341/422(54) के किला न0 1/1 की 0.013हैक गै0मु0खाला 1/2 की पूर्वी पासा की 0.126हैक 2/1 की 0.051हैक गै.मु. खाला संख्या 2/2 की 0.202हैक किला न0 3/0.253हैक किला न0 6/1 की 0.0380हैक गै0मु0रास्ता किला न0 6/2 की 0.215हैक किला न0 7 –8 की 0.5060हैक किला न0 9/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला 9/2 की 0. 2280हैक , 10 की पूर्वी पासा की 0.1390हैक , 11 की पूर्वी पासा की 0.1390हैक , 12 की 0. 2530हैक , 13/0.063हैक पश्चिम पासा की कुल 3.0100हैक भूमि मय गै.मु. खाला रास्ता रहेगी।

ण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 11 बजरगलाल के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 7 के प0न0 341/415(7) के किला न0 8/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530हैक्‍ट व रोही मोजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 17 के प0न0 341/415(7) के किला न0 23/0.2530 , एव रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 18 के प0न0 341/416(8) के किला न0 3/0.2530 ,8/0.2530 ,व रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 341/416 (8) के किला न0 13/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,किला 16 की पश्चिमी पासा की 0.084हैक्‍ट कुल 3.120हैक्‍ट भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 12 दुर्गादत के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 7 के प0न0 341/415(7) के किला न0 5/1 की 0.038हैक्‍ट गै0मु0 रास्ता 5/2 की 0.2150हैक्‍ट 6 ,15 ,16 ,25/1.0120हैक्‍ट प0न0 341/416(8) के किला न0 5/0.2530भूमि एव रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 341/416 (8) के किला न0 6/0.2530 ,एव रोही मौज चक 20 एनटीआर के प0न0 342/416(12) के किला न0 8 ,9 ,10 ,12 ,13/1.2650हैक्‍ट भूमि किला न0 11 की पूर्वी पासा की 0.085हैक्‍ट कुल 3.1180हैक्‍ट भूमि मय गै.मु.रास्ता रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner